

‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रपरिषद ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत [एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी](#) ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ की भाँति प्रदेश के लिये तैयार की गई उत्तर प्रदेश [एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी](#) ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ को अनुमोदित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व नदिशालय (संस्कृत विभाग) द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव एवं जन-सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों व नजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा।
- इसके तहत संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों को विकसित करने के लिये नजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मत्तिर बनाया जाना प्रस्तावित है।
- चयनित स्मारक मत्तिरों द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिये स्मारक परिसर में जन-सुविधा प्रबंधन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था की जाएगी।
- एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत चयनित स्मारक मत्तिर, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व नदिशालय (संस्कृत विभाग), पर्यटन विभाग एवं संबंधित ज़िले के ज़िलाधिकारी के मध्य एमओयू किया जाएगा, जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- प्रस्तावित कार्य संस्कृत विभाग (उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व नदिशालय) एवं पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित जनपद के ज़िलाधिकारी के माध्यम से पारस्परिक सहयोग से किया जाएगा।
- योजना के क्रयान्वयन हेतु **संस्कृत विभाग एवं पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समिति** बनाई जाएगी। संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया जाएगा।
- मंत्रपरिषद द्वारा नीति के अंतर्गत प्रथम चरण में पुरातत्त्व नदिशालय (संस्कृत विभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग को **1 प्रमुख स्मारकों/स्थलों** का चयन स्मारक मत्तिर बनाए जाने के लिये किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- चयनित स्मारकों में छतरमंजलि एवं फरहत बख्श कोठी, कोठी गुलसिताने इरम, दर्शन वलास कोठी (कैसरबाग, लखनऊ), हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल (मोहनलालगंज, लखनऊ), कृसुमवन सरोवर, गोवर्धन की छतरियाँ (गोवर्धन, मथुरा), रसखान समाधि (गोकुल, मथुरा), गुरुधाम मंदिर (वाराणसी), कर्दमेश्वर महादेव मंदिर (कंदवा, वाराणसी), चुनार कला (मरिजापुर) एवं प्राचीन दुर्ग (बुरुआसागर, झाँसी) सम्मिलित हैं।